

राजस्थान सरकार
कार्यालय उपखण्ड अधिकारी, सिकराय, (दौसा)
जिला - दौसा
जाति प्रमाण - पत्र



क्रमसं: RJ/2017/राजत्व विभाग/जाति का प्रमाण-पत्र (अ.जा./अ.ज.जा.) /24603859777

दिनांक: 09-05-2024

आवेदक/परिवार के मुखिया का जनआधार कार्ड संख्या : 5062542102

प्रमाणित किया जाता है कि श्री दिनेश कुमार मीना पुत्र/पुत्री श्री लक्ष्मी नारायण मीना, माता का नाम - श्रीमती दुर्गी देवी मीना, गांव/नगर बंगला की ढाणी, ग्राम पोस्ट घूमणा, तहसील सिकराय, जिला दौसा जिला/डिवीजन दौसा राज्य/संघ राज्य क्षेत्र राजस्थान में 9 MINA (9 मीना) जाति/समुदाय का/की है जिसे निम्नलिखित के अनुसार अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता दी गई है:-

संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश 1950, संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश 1950, संविधान (अनुसूचित जाति) (संघ राज्य क्षेत्र) आदेश 1951, संविधान (अनुसूचित जनजाति) (संघ राज्य क्षेत्र) आदेश 1951, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति सुधियां (संशोधन) आदेश 1956, बम्बई पुनर्गठन अधिनियम 1960, पंजाब पुनर्गठन अधिनियम 1966, हिमाचल प्रदेश राज्य अधिनियम 1970, उत्तर पूर्वीय क्षेत्र (पुनर्गठन) अधिनियम, 1971 और अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) अधिनियम 1976 द्वारा यथा संशोधित संविधान (जन्म व कर्म) अनुसूचित जाति आदेश 1956, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) अधिनियम 1976 द्वारा यथा संशोधित संविधान (अठमना तथा निकोबार द्वीप समूह) अनुसूचित जनजाति आदेश 1959, संविधान (बादरा तथा नागर हवेली) अनुसूचित जाति, आदेश 1962, संविधान (बादरा तथा नागर हवेली) अनुसूचित जनजाति, आदेश 1962, संविधान (गंडेचरी) अनुसूचित जाति आदेश 1964, संविधान अनुसूचित जनजाति (उत्तर प्रदेश) आदेश 1967, संविधान (गोखा, दमन तथा दीव) अनुसूचित जाति आदेश 1968, संविधान (गोखा, दमन तथा दीव) अनुसूचित जनजाति आदेश 1968, संविधान (नागार्जुन) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1970

श्री दिनेश कुमार मीना गांव/नगर बंगला की ढाणी, ग्राम पोस्ट घूमणा, तहसील सिकराय, जिला दौसा जिला / डिवीजन दौसा राज्य/संघ राज्य क्षेत्र राजस्थान में समान्यतया रहता / रहती है।

नोट:

- यह प्रयोग साधारणतः निवासी का उद्देश्य नहीं होगा जो कि प्रतिनिधित्व 1950 की धारा 20 में है।
- राजस्थान सरकार के सामाजिक न्याय अधिकारीता विभाग की अधिसूचना सं. एफ. 21(37) एच.जे.ई./कम्प्यू./डि.जी./08-09/73710 दिनांक 30/12/2010 के द्वारा जाति प्रमाण-पत्र जारी करने हेतु डिजिटल हस्ताक्षर के उपयोग को मान्यता प्रदान की गयी है।
- उपरोक्त प्रमाण-पत्र किबोर्ड द्वारा उपलब्ध कराये गये ई-दस्तावेजों के आधार पर जारी किया गया है। दस्तावेजों की प्रमाणीकता के सम्बन्ध में कोई विवाद होने पर प्रमाण-पत्र खारिज किया जा सकेगा।
- प्राप्ति द्वारा प्रस्तुत किये गए मूल आवेदन पत्र एवं सम्बंधित दस्तावेजों जिले के सम्बंधित प्रशासकीय अधिकारी जिसके हस्ताक्षर से यह जारी किया जायेगा के कार्यालय में निरीक्षण/परीक्षण के लिए उपलब्ध होंगे।
- यह प्रमाण-पत्र डिजिटल हस्ताक्षरित है। अतः सभी कार्यों के लिये कम्प्युटर है।
- प्राप्ति का जारी किये गये प्रमाण-पत्र का सत्यापन www.emitra.rajasthan.gov.in पर स्थित ONLINE VERIFICATION SECTION में Online सत्यापित किया जा सकता है। टोकन संख्या - 240622132586

उपखण्ड अधिकारी, सिकराय, (दौसा)

Signature valid

Digitally signed by
YASHWANT MEENA
Date: 2024.05.09 15:58:01
+05:30

Reason Approved
Location Rajasthan
KIRIT PLEK

